

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, टोंक (राज.)

क्रमांक :- रसद/एफपीएस/2025/

दिनांक :-

2025

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.3.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 की पालना में टोंक जिले में रिक्त/नवसृजित 08 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक/संस्था से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

तहसील देवली

क्र.स.	नगर परिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल ग्राम/वार्ड	रिक्त/नवसृजित	आरक्षण का विवरण
1.	देवली शहर	वार्ड नम्बर 1 देवली गांव	रिक्त	सामान्य
2.	मालेडा	रामथला	रिक्त	सामान्य
3.	बंथली	बंथली	रिक्त	सामान्य

तहसील टोंक

क्र.स.	नगर परिषद/नगरपालिका/ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल ग्राम/वार्ड	रिक्त/नवसृजित	आरक्षण का विवरण
1.	नगरपरिषद टोंक शहर	वार्ड नम्बर 31 पुरानी टोंक	नवसृजित	सामान्य
2.	नगरपरिषद टोंक शहर	वार्ड नम्बर 28 हाउसिंग बोर्ड	नवसृजित	सामान्य
3.	नगरपरिषद टोंक शहर	वार्ड नम्बर 04 चन्दलाई टोंक	नवसृजित	सामान्य
4	नगरपरिषद टोंक शहर	वार्ड नम्बर 11 महादेवाली टोंक	नवसृजित	महिला आरक्षित
5	नगरपरिषद टोंक शहर	वार्ड नम्बर 09 एवं 10 भीखापुरा टोंक	नवसृजित	महिला आरक्षित



आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2025 से 08.12.2025 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय टॉक से प्राप्त किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 08.12.2025 को साथ 06.00 बजे तक जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

घोषणा

(जो लागू नहीं हो वह काट दे)

1. यह है कि मैंने "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976" के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप "क" में आवेदन किया है जिसके उपरान्त भरे गये बिन्दु सत्य है। मैंने/हमने उक्त आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उक्त आदेश के उपबन्धों तथा समय-समय पर तदधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।
2. यह है कि मैं/संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिये पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हूँ।
3. यह है कि मेरा/संस्था का पूर्व में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गंभीर अनियमितताओं के कारण निरस्त नहीं हुआ है।
4. यह है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य यथा माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता-पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से कोई दुकान नहीं है।
5. यह है कि मेरे पास राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण है/नहीं है, किन्तु मैं यह प्रशिक्षण चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्राप्त कर लूंगा/लूंगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
6. यह है कि आवेदन-पत्र पर लगा रंगीन पासपोर्ट साईज छाया चित्र मेरा स्वयं का है।
7. यह है कि मेरी दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं है। मुझे यह भी ज्ञात है कि उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के बाद यदि दिनांक 01.01.2015 के पश्चात मेरी दो से अधिक संतान होगी तो ऐसा होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त हो जायेगा।
8. यह है कि मैं बालिग एवं स्वस्थ चित हूँ तथा दिवालिया घोषित नहीं हुआ हूँ या संस्था दिवालिया घोषित नहीं है।
9. यह है कि मुझे/संस्था को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
10. यह है कि मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु प्रस्तुत संलग्न आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एवं प्रस्तुत सूचनायें/दस्तावेज सही हैं और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।
11. यह है कि उचित मूल्य दुकान का आवंटन होने पर मैं/संस्था दुकान का संचालन स्वयं करूंगा/करूंगी।
12. यह है कि मुझे यह भी ज्ञात है कि द्वितीय वरियता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम उम्र 60 वर्ष है। मैं 60 वर्ष की उम्र होने पर प्राधिकार पत्र समर्पित कर दूंगा/दूंगी।
13. यह है कि मेरे/संस्था के समस्त पदाधिकारीगण के घर में कार्यशील शौचालय है।
14. यह मेरी जानकारी में है कि गलत सूचनायें देना एवं ऐसा साबित होना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विशिष्टियाँ सही हैं और इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचनाएँ गलत पाये जाने पर आवेदन/उचित मूल्य दुकान का आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठों की कुल संख्या
दिनांक

आवेदक के

हस्ताक्षर

आवेदक संस्था/निगमित निकाय होने पर अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक के हस्ताक्षर भी मय सील अंकित किये जाने हैं

अध्यक्ष
प्रेषिति,

सचिव

प्रबंधक

.....
.....

.....

(इस लाईन के नीचे नहीं लिखें)

आवेदक की योग्यताएँ एवं शर्तें

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छाया चित्र होगा तथा एक छाया चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रुपये निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डीडी अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहियें, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहियें। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में

- प्रमाण पत्र स्वरूप राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधारकार्ड/जनआधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहियें अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहियें। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवी की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/पैन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
 3. शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (आर. के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिये। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ-पत्र देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक समितियाँ/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
 4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 10/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
 5. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहियें। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।
 6. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दाये-बाये स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/ सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहियें। आवेदक को दुकान आवंटन के बाद जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 फीट गुणा 20 फीट अर्थात् 200 फीट न्यूनतम क्षेत्रफल होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। आवेदक को अन्नपूर्णा

भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानाम आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

7. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1,00,000/- रुपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। (हैसियत का प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा)
8. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गंभीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
9. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र दिया जावेगा :-
 1. आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
 2. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
 3. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
 4. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 5. आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
 6. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
 7. आवेदक के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं है।
10. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करना होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (बृहतर क्षेत्रीय बहुद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
12. प्रत्येक आवेदक तथा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (बृहतर क्षेत्रीय बहुद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटैकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
13. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
14. सभी रिक्त/नवसृजित दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदकों को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं है।
15. चयन के प्राथमिकता क्रम—

प्रथम वरीयता(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (बृहतर क्षेत्रीय बहुद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, (2) “ महिला स्वयं सहायता समूह” जो, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो, (3) निगमित निकाय

- महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंसा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रुपये होना आवश्यक होगा।
- आवेदक सहकारी समितियां हैं जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो, आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्ति होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में प्रमाण-पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंसा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 100000/- रुपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।

द्वितीय वरियता व्यक्तिगत (प्रथम वरियता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)
सामान्य के लिए द्वितीय वरियता

1. दिव्यांग (बेरोजगार)
2. भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
3. अन्य पात्र (बेरोजगार)

महिला आरक्षित विज्ञप्ति के लिए वरियता

1. दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
2. शहीद की विधवा वीरांगना (बेरोजगार)
3. विधवा (बेरोजगार)
4. परित्यक्ता (बेरोजगार)
5. भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार)
6. अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

- निःशक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेरोजगार को एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 25 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को प्राथमिकता से आवंटित की जावेगी। आवेदक को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

16. द्वितीय वरियता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।
17. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है।
18. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

जिला रसद अधिकारी
टोंक

कमांक— रसद/एफपीएस/2025/
प्रतिलिपि —

दिनांक :-

1. श्रीमान शासान सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
4. माननीय सांसद जिला टोंक।
5. माननीय विधायक महोदय मालपुरा/टोडारायसिंह, देवली उनियारा,।
6. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।एस.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. उपखण्ड अधिकारी देवली, उनियारा, मालपुरा टोंडारायसिंह
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को टोक के स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
10. महिला अधिकारिता विभाग टोंक
11. उपरजिस्ट्रार सहकारिता विभाग टोंक।
12. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक जिला टोंक।
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट टोंक,

जिला रसद अधिकारी
टोंक